राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1390/2023

बद्री लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, बारां।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.05.2023
आदेश की दिनांक : 12.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी सहायक उप निरीक्षक का मुख्यालय जिला बारां में किया गया था, जिसे आलोच्य आदेश दिनांक 29.12.2020 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तन जिला बारां से जिला सवाईमाधोपुर किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को पुलिस अधीक्षक के आदेश दिनांक 26.10.2017 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी ने दिनांक 17.10.2017 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा द्वारा 5000 रुपये की रिश्वत लिए जाने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने पर एवं अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में प्रकरण संख्या 286/2017 धारा 7, 13(1)(डी),13(2) पी0सी0 एक्ट 1988 में प्रकरण दर्ज किए जाने के कारण निलम्बित किया गया और मुख्यालय पुलिस लाईन बारां में रखा गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 610/2021 राज्य सरकार बनाम सुरेन्द्र खोखर के निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त आदेश के अनुसार जिले से बाहर मुख्यालय परिवर्तन करना राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 34 के विपरीत है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 2940/2021 राकेश शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं

अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.02.2022 (अनुलग्नक–4) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान तथ्यों पर आधारित बताया है। अपीलार्थी के निलंबन आदेश को आदेश दिनांक 01.12.2020 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रत्याहरित कर दिया गया और उसे रिजर्व लाईन पुलिस बारां में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 29.12.2020 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का मुख्यालय परिवर्तन कर जिला सवाईमाधोपुर किया गया, जो विधि के विरूद्ध है। अतः उक्त आदेश 29.12.2020 को स्थगित रखने का अनुरोध किया है।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 4365 दिनांक 29.12.2020 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थी बद्री लाल, सहायक उप निरीक्षक का मुख्यालय परिवर्तन जिला बारां से जिला सवाईमाधोपुर किया गया है। अपीलार्थी को पुलिस अधीक्षक, बारां के आदेश दिनांक 26.10.2017 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी ने दिनांक 17.10.2017 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा द्वारा 5000 रुपये की रिश्वत लिए जाने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने पर एवं अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में प्रकरण संख्या 286/2017 धारा 7, 13(1)(डी),13(2) पी0सी0 एक्ट 1988 में प्रकरण दर्ज किए जाने के कारण निलम्बित किया गया और मुख्यालय पुलिस लाईन बारां में रखा गया। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 01.12.2020 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल किए जाने का आदेश जारी किया गया। उक्त बहाली आदेश निम्न शर्तों पर किया गया हैः–

1. उक्त सहायक उप निरीक्षक को संबंधित प्रकरण में न्यायालय से बरी होने तक फिल्ड पोस्टिंग नहीं दी जावे।
2. उक्त कार्मिक से पब्लिक डिलिंग, अनुसंधान से संबंधित कार्य तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य के निष्पादन नहीं कराके अन्य प्रकृति के कार्य निष्पादन करावें।
3. उक्त कार्मिक न्यायालय में लम्बित प्रकरण में किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा तथा वह नियमित रूप से तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा।

आलोच्य आदेश दिनांक 29.12.2020 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज एसीबी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने और उनके विरूद्ध लम्बित प्रकरण में निष्पक्ष विचारण सुनिश्चत करने हेतु न्यायहित में मुख्यालय परिवर्तन किए जाने आलोच्य आदेश में अंकित है। उक्त आदेश में यह भी अंकन है कि मूल वरिष्ठता निलम्बित जिला में ही संधारित की जायेगी। अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान यह अवगत कराया कि आलोच्य आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा जिला सवाईमाधोपुर में

कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आलोच्य आदेश दिनांक 29.12.2020 का है, जिसके विरूद्ध 08.05.2023 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो आदेश जारी होने के दो साल 4 माह से ज्यादा अवधि व्यतीत होने के बाद प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को आलोच्य आदेश की समय पर जानकारी हो गई थी और उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने जिला सवाईमाधोपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है और वहां कार्यरत है। विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी यह बताने में असफल रहा हैं कि इतनी लम्बी अवधि के बाद अपील प्रस्तुत करने के क्या कारण है। विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के कारणों के संबंध में कोई जानकारी न तो अपील में प्रस्तुत की गई है और न ही बहस के दौरान अवगत करायी गई है। विलम्ब की दशा में प्रतिदिन के विलम्ब को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी की तरफ से विलम्ब को कन्डोन करने एवं अपील अन्दर मियाद जाने बाबत कोई अनुरोध भी नहीं किया गया है एवं कोई प्रार्थना पत्र भी इस संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील में गुणावगुण पर विचार किए बिना अपील अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत होने से मियाद बाहर होने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 12.05.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य